

राजस्थान सरकार  
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर

क्रमांक : नर्सिंग / नर्स-1 / एस.1330 / एसीपी / 23840 / 2024 / 142

दिनांक:- 15/4/2024

—:आदेश:—

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक: एफ 20(1) एफ.डी.रूल्स/ग्रुप-2/92 दिनांक 17.02.98, एफ 11(7) एडी/नियम/2008/दिनांक 12.09.2008, एफ14(88) वित्त(नियम) /2008-1/दिनांक 31.12.2009 एवं एफ 15(1) एफडी/नियम/2017 दिनांक 30.12.2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ 14(88) एफडी/ नियम/2008 दिनांक 18.12.2020 एवं एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 जयपुर दिनांक 27.02.2022 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित कार्मिक जिन्होंने 27 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से एसीपी/पे-मैट्रिक्स लेवल में एसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/ सुश्री)	पद	पदस्थाप न जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	देय एसीपी की दिनांक	देय पे बैण्ड एसीपी/पे- मैट्रिक्स लेवल प्राप्त/प्राप्त पे-बैण्ड	देय ग्रेड-पे/ पे- मैट्रिक्स लेवल
1	सुभाष चन्द्र शर्मा	नर्सिंग ट्यूटर	जयपुर	05.06.1976	05.06.2003 27 वर्ष	6500-10500 GP- 200	8000-275-13500 मूवे 8550

**नोट**—कार्मिक के विरुद्ध आपके कार्यालय स्तर पर भी विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित है या नहीं सुनिश्चित करावें।

दिनांक 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान नहीं होने की शर्त पर ही उक्त एसीपी मान्य होगी यदि कर्मचारी के प्रकरण में तीसरी संतान की इस शर्त का उल्लंघन पाया गया तो उसके संबंध में यह आदेश प्रारम्भ से ही शून्य होगा। उक्त कार्मिक का वेतन नियतन संबंधित प्रशासनिक अधिकारी द्वारा पृथक से किया जायेगा।

(राकेश कुमार शर्मा)  
निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 15/4/2024

क्रमांक : नर्सिंग / नर्स-1 / एस.1330 / एसीपी / 23840 / 2024 / 142

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-जयपुर।
2. प्रधानाचार्य एवं नियन्त्रक, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर।
3. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर।
4. प्रधानाचार्य, राजकीय कॉलेज आफ नर्सिंग, सवाई मानसिंह चिकित्सा महाविद्यालय जयपुर को उनके पत्रांक 2234 दिनांक 23.05.2023 के क्रम में।
5. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
6. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करे।
7. आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें  
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref  
6289766

Document certified by RAKESH KUMAR  
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>.

Digitally Signed Rakesh  
Kumar Sharma  
Designation Director  
Date :12-04-2024 11:17:28